


27.08.2024:-पत्रावली पेशी मे ली गई। उभयपक्ष उपस्थित।
प्रार्थी का वादपत्र खारिज (विद्धा) हो गया। मूल
वाद पत्र (विद्धा) होने के कारण प्रार्थना-पत्र मे
कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती। मूल वादपत्र
(विद्धा) होने के कारण प्रार्थी का उक्त
प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. मे
वर्तमान स्तर पर खारिज कि जाती है। पत्रावली
नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील
दाखिल दफ्तर हो।


सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
इनुमानगढ़

